Annexure - XXIX

महत्वपूर्ण / तत्काल

उत्तरांचल सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी–10 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779

पत्रांक : 146 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक : 31 दिसम्बर, 2005

प्रेषक :

मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तरांचल सूचना आयोग

सेवा में :

मानक सूची – 1 के अनुसार

विषय : उत्तरांचल सूचना आयोग का परिपत्र संख्या 36 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक 28 नवम्बर, 2005 के अन्तर्गत उत्तरांचल सूचना आयोग को मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण.

प्रिय महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरांचल सूचना आयोग के द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का प्रेषण और प्रत्येक विभाग के द्वारा उत्तरांचल सूचना आयोग को मासिक प्रगति प्रतिवेदन के प्रेषण के लिए प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन भेजने के निदेश पत्रांक 36 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक 28 नवम्बर, 2005 को निर्गत किये गये थे. आयोग के इस पत्रांक 36 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक 28 नवम्बर, 2005 की एक प्रति पुनः आपके सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है (प्रति संलग्न).

2. आयोग के पास अब तक प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अब तक मात्र निम्न विभागों द्वारा उक्त परिपत्र की प्राप्ति स्वीकार की गई है और अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह प्रत्येक माह के संबंध में अगले माह की 10वीं तारीख तक उत्तरांचल सूचना आयोग को निर्धारित 5 बिन्दुओं पर अपना प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित कर दें.

2.1 पेयजल विभाग
2.2 सहकारिता विभाग
2.3 गन्ना एवं चीनी विभाग
2.4 श्रम एवं सेवायोजन
2.5 पशुपालन
2.6 आबकारी विभाग
2.7 डेयरी विकास विभाग
2.8 युवा कल्याण विभाग

2.9 परिवहन विभाग
2.10 राज्य पुनर्गठन विभाग
2.11 नगर विकास विभाग
2.12 खेल कूद विभाग
2.13 विद्यालयी शिक्षा
2.14 वन विभाग
2.15 पर्यावरण विभाग
2.16 राजस्व विभाग

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्य सरकार के 58 विभागों में से केवल 16 विभागों के द्वारा आयोग के महत्वपूर्ण परिपत्र संख्या 36/उ.सू.आ./मु.सू.आ./2005 दिनांक 28 नवम्बर, 2005 के माध्यम से आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिए मांगी गई सूचना के सापेक्ष केवल 16 विभागों से ही मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजना एक आपत्तिजनक स्थिति है. स्पष्टतया उपरोक्त परिपत्र संख्या 36 को संबंधित प्रमुख सचिव/ सचिव स्तर पर या तो सामान्य रूप से आगे प्रेषित कर दिया गया है अथवा किसी अन्य कारण से उस पर उनके अधीनस्थ स्तर से कार्यवाही नहीं की गई है.

4. जैसा आयोग के परिपत्र संख्या 36 दिनांक 28 नवम्बर, 2005 के प्रस्तर 7 में स्पष्ट किया जा चुका है आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस तथ्य पर अनिवार्य रूप से अपनी टिप्पणी की जायेगी कि राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को अपने विभाग और विभाग के अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों के माध्यम से लागू करने के लिए कैसे प्रयास किये गये हैं उनमें से मासिक प्रगति के माध्यम से सूचना को एक महत्वपूर्ण बिन्दु माना जायेगा. सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को लागू करने का संबंध सीधे सुशासन (Good Governance) से है. अनुरोध है कि इस परिपत्र को, जिसके साथ पूर्व में प्रेषित परिपत्र की एक प्रति पुनः संलग्न की जा रही है, को स्वयं प्रमुख सचिव/ सचिव स्तर पर ही रोककर उस पर तब तक अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय जब तक कि यह निश्चित नहीं हो जाता है कि विभाग के समस्त लोक प्राधिकारियों और लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित 5 बिन्दुओं पर मांगी गई प्रगति को मासिक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जा चुका है. प्रमुख सचिव/ सचिव स्तर पर निदेशालयों के निदेशकों/ कार्यालयाध्यक्षों को और सचिवालय स्तर पर किसी अपर सचिव स्तर को इसके लिए विशेष रूप से उत्तरदायी बनाते हुए इसे उनके कार्य के आवंटन में भी सम्मिलित करवा लें. प्रत्येक विभाग जिसमें एक से अधिक अनुभाग हों उनमें किसी एक अनुभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम के आदेशों के पालन करने के लिए लिखित रूप में आवंटन करना उचित होगा.

4. 58 विभागों में से जिन 16 विभागों से परिपत्र की प्राप्ति स्वीकृति और सूचनायें प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं उनकी भी प्रगति अलग–अलग स्तर की है. उनमें से कुछ के संबंध में स्थिति निम्नवत् रहीः

4.1 पेयजल विभाग के द्वारा सक्रिय प्रयास करते हुए अपने अधीनस्थ तीनों लोक प्राधिकारियों को विस्तृत विवरण भेजे हैं और उसी के आधार पर तीनों लोक प्राधिकारियों ने अपने, धारा 4 के अन्तर्गत, तैयार मैनुवल प्रेषित किये हैं और लोक प्राधिकारियों द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट भी आयोग को भेजनी प्रांरभ कर दी गई है.

4.2 सहकारिता विभाग के स्तर पर केवल अपर सचिव सहकारिता द्वारा निबन्धक को 13 दिसम्बर 2005 को मासिक प्रगति प्रतिवेदन 10 तारीख तक भेजने को लिखा गया है किंतु इसका कोई

प्रभाव निबन्धक सहकारिता स्तर या उनसे संबंधित लोक सूचना अधिकारियों पर पड़ता प्रतीत नहीं होता क्यों कि कोई मासिक प्रगति प्रतिवेदन आयोग को प्राप्त नहीं हुई है. यही स्थिति परिवहन विभाग एवं विद्यालयी शिक्षा की है.

4.3 सहकारिता, पशुपालन, आबकारी और डेयरी विभाग के सचिव स्तर पर डेयरी, पशुपालन, सहकारिता और आबकारी विभाग के विभागाध्यक्षों से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन 5 बिन्दुओं पर प्राप्त किया गया है और उसे सूचना आयोग को संकलित करके प्रेषित किया गया है. इस व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था माना जा सकता है जिसमें स्वयं सचिव द्वारा विभागाध्यक्षों से सूचना प्राप्त करके उसे स्वयं सूचना आयोग को प्रेषित किया है.

4.4 कुछ लोक प्राधिकारियों जैसे उत्तरांचल लाइव स्टाक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा अपनी मासिक प्रगति प्रेतिवेदन की प्रति निर्देशालय के नोडल अधिकारी को भेजने के साथ–सथ उसकी एक प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित कर दी गई है. इस व्यवस्था को भी सन्तोषजनक माना जा सकता है क्यों कि इससे निदेशालय/ विभाग के साथ–साथ आयोग को भी अपेक्षित सूचना समय से प्राप्त हो गई.

4.5. राज्य पुनर्गठन विभाग के द्वारा सीधे ही अपर सचिव के माध्यम से सूचना आयोग को सूचना प्रेषित की गई है.

4.6 नगर विकास के स्तर पर सक्रियता के कारण विभिन्न नगर पंचायत और परिषदों द्वारा सीधे आयोग को मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजे गये हैं. यहॉ यह उचित होगा कि निदेशालय स्तर पर भी नगर परिषदों/ नगर पंचायतों की मासिक रिपोर्ट प्राप्त करके उसका संकलित विवरण आयोग को प्रेषित कर दिया जाय जिससे आयोग स्तर पर सूचना मिल सकेगी और परिहार्य पत्राचार नहीं होगा.

4.7 बेसिक शिक्षा से संबंधित कई एमपीआर सीधे जनपदों से आयोग को प्राप्त हो रही हैं जिसकी प्रति संबंधित अधिकारियों को पृष्ठांकित की जा रही है. उचित होगा कि विद्यालयी शिक्षा निदेशालय के स्तर पर इन्हें संकलित कर लिया जाय और पूरे प्रदेश की संकलित सूचना को आयोग को प्रेषित किया जाय.

4.8 चीनी विभाग के अन्तर्गत चीनी मिलों के द्वारा 5 बिन्दुओं पर प्रगति रिपोर्ट आयोग को सीधे भेज दी गई है. उचित होगा कि गन्ना और चीनी निदेशालय स्तर पर सभी चीनी मिलों की सूचना एकत्रित करके उसे संकलित रूप में आयोग को प्रेषित किया जाय.

4.9 जिला स्तर पर राजस्व विभाग की संकलित सूचना केवल देहरादून और उधम सिंह नगर जनपदों से प्राप्त हुई है जिसमें जनपद स्तर पर सूचना को संकलित करके उसे आयोग को निर्धारित रूप पत्र पर प्रेषित किया गया है. देहरादून जनपद में गत माह संकलित सूचना शून्य रही. राजस्व विभाग की सूचनायें प्रेषित करते समय यह अंकित करना आवश्यक होगा कि कुल कितने लोक सूचना अधिकारी थे और उनमें से कितनों से मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुए.

4.10 उधम सिंह नगर से राजस्व विभाग की सूचना स्वयं जिलाधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के रूप में प्रेषित की गई है और गत माह, प्राप्त सूचना के आधार पर उधम सिंह नगर में लोक सूचना अधिकारियों को सबसे अधिक अर्थात 41 अनुरोध पत्र प्राप्त हुए और जिसके सापेक्ष दिसम्बर माह में 654 रूपये की राजस्व आय प्राप्त हुई. जिलाधिकारी द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि प्रारंभ में जानकारी न होने से कई अनुरोध पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुए जिसे उनके द्वारा संबंधित विभागों को कार्यवाही करने के लिए प्रेषित किया गया है.

5. दिसम्बर माह की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि 58 विभागों में से मात्र 16 विभागों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रगति को आयोग को प्रेषित किया गया है जिसे आपत्तिजनक माना जा सकता है. प्रगति प्रतिवेदनों के लिए पहला माह होने के कारण यह माना जा सकता है कि अभी तक कई विभागों में प्रमुख सचिव/ सचिव स्तर पर और निदेशालय स्तर पर इसके महत्व को स्पष्ट रूप से अंगीकार नहीं किया गया है जो कि सुशासन की प्रक्रिया में उपरोक्त व्यवस्था को शीघ्रताशीघ्र स्थापित करना एक अतिरिक्त वरीयता का कार्य माना जाना चाहिए था.

6. उत्तरांचल सूचना आयोग के द्वारा परिपत्र संख्या 36 दिनांक 28 नवम्बर, 2005 के माध्यम से निर्धारित 5 बिन्दुओं पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिवेतन है और यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक विभाग, प्रत्येक लोक प्राधिकारी और प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा इसे सबसे महत्वपूर्ण मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में से एक मानते हुए भविष्य में सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से 5 बिन्दुओं पर मासिक प्रगति प्रतिवदेन सूचना आयोग को समय से प्राप्त हो जाय.

7. प्रमुख सचिव / सचिव तथा विभागीय निदेशक/ कार्यालयाध्यक्ष से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विभाग के अधीन नामित लोक प्राधिकारियों तथा लोक सूचना अधिकारियों से जो 5 बिन्दुओं पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं उसे विभाग के निदेशालय स्तर पर ही जनपदवार संकलित कर लिया जाय और संकलित सूचना की एक प्रति सूचना आयोग को उसके पते पर तथा दूसरी प्रति अपने विभागीय प्रमुख सचिव/ सचिव को प्रेषित कर दी जाती है. प्रथम माह की समीक्षा के उपरान्त जिन विभागों से प्राप्ति स्वीकार हुई है और सूचना के प्रेषण को सूचित किया है उनका मूल्यांकन और जिन विभागीय लोक प्राधिकारियों से किसी प्रकार की प्राप्ति स्वीकार या सूचना नहीं प्राप्त हुई है उनका भी मूल्यांकन आयोग द्वारा मासिक तौर पर किया जा रहा है. दिसम्बर माह की प्रगति के उपरान्त आयोग द्वारा उन विभागों के प्रमुख सचिव/ सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से यह सूचित कराया जायेगा कि उनके विभाग के स्तर पर और विभाग के लोक प्राधिकारियों के स्तर पर इस महत्वपूर्ण कार्य को उपेक्षित किया जा रहा है जब कि इस महत्वपूर्ण अधिनियम और प्रशासनिक सुधार की भावना के प्रतिकूल है. 10 जनवरी, 2006 तक विभागों और विभागों के अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों से मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित रूप पत्र पर समय से प्राप्त नहीं होते हैं उनको प्रेषित अ. शा. पत्र, अनुस्मारकों के बारे में टिप्पणी को आयोग के वार्षिक प्रगति प्रतिवदेन में भी सम्मिलित किया जायेगा और वह विभागों के मूल्यांकन का भी आधार होगा.

8. पूर्व प्रेषित परिपत्र संख्या 36 दिनांक 28 नवम्बर, 2005 की प्रति पुनः संलग्न करते हुए प्रत्येक प्रमुख सचिव/ सचिव से अपेक्षा की जाती है कि वह कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हुए कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत करायें और यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ प्रत्येक लोक प्राधिकारी से 5 बिन्दुओं पर निर्धारित प्रगति प्रतिवेदन 10 जनवरी, 2006 तक संकलित रूप में आयोग को प्राप्त हो जाती है.

भवदीय

संलग्नक : यथोक्त

(आर. एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त